



# भारत का गज़ीत The Gazette of India

असाधारण

## **EXTRAORDINARY**

## ભાગ II—ખણ્ડ 3—ઉપ-ખણ્ડ (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 607]

नई दिल्ली, बधवार, मार्च 1, 2017/फालान 10, 1938

No. 607]

**NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938**

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

**का.आ. 677(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1. श्री उज्जवल कुमार भट्टाचार्य —अध्यक्ष  
एसी-83, एकशन एरिया-1,  
पी.ओ. न्यू टाउन, नियर टाउन,  
कोलकाता – 700156
  2. प्रो. मधुमिता राय —सदस्य  
8 जाधवपुर सेंट्रल रोड  
कोलकाता – 700032
  3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
पर्यावरण विभाग,  
पश्चिमी बंगाल सरकार। —सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
3. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।
4. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल इस अधिसूचना के पैरा 5 के अधीन राज्य सरकार के लिए गठित राज्य विशेषज्ञ समिति, पश्चिमी बंगाल की सिफारिशों के आधार पर विनिश्चय करेगा।
5. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल को सहायता के प्रयोजन के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के परामर्श से राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, पश्चिमी बंगाल गठित करती है जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	डा. तपन कुमार मुखर्जी, स्वास्थ्य विभाग, कोलकाता नगर निगम 5, एस.एन. बनर्जी रोड, कोलकाता – 700013	—अध्यक्ष
2.	प्रो. जयंत भट्टाचार्य, खनन इंजीनियरी विभाग, पो.आ. आईआईटी खडगपुर, पी.एस. खडगपुर स्थानीय, जिला पश्चिमी मिदनापुर – 721302, पश्चिमी बंगाल	—सदस्य
3.	प्रो. आलोक कुमार मुखर्जी, बी-6 सर्वे पार्क, संतोषपुर, कोलकाता – 7000075	—सदस्य
4.	डा. कल्याणमाय गांगुली 329, डायमंड हारबर रोड, बेहाला, कोलकाता – 700034	—सदस्य
5.	डा. इंद्रिला गुहा 39ए/1ए, बोस पुकर रोड, कोलकाता – 700042	—सदस्य
6.	डा. पापिता दास सहायक प्रोफेसर रासायनिक इंजीनियरी, जाधवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता – 700032	—सदस्य
7.	सदस्य सचिव, पश्चिमी बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	—सदस्य सचिव

6. राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
7. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाधात प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

8. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समाधात प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगा और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. पश्चिमी बंगाल सरकार, प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल और राज्य स्तरीय समाधात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने को किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन और इसके सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी।

10. प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्यों तथा राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, पश्चिमी बंगाल के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक के लिए फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पश्चिमी बंगाल सरकार के नियमों के अनुसार संदेय होंगे।

[जे-11013/8/2007-आई.ए. II (I)]

मनोज कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 28<sup>th</sup> February, 2017

**S.O. 677(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, West Bengal (hereinafter referred to as the Authority, West Bengal) comprising of the following members, namely: -

1.	Shri Ujjwal Kumar Bhattacharya AC-83, Action Area – 1, P.O.- New Town, Near Town, Kolkata – 700156.	—Chairman
2.	Prof. Madhumita Roy 8 Jadavpur Central Road Kolkata – 700032	—Member
3.	Chief Environment Officer, Department of Environment, Government of West Bengal.	—Member Secretary.

2. The Chairman and members of the Authority, West Bengal shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, West Bengal shall exercise such powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, West Bengal shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 of this notification for the State of West Bengal.

5. For the purposes of assisting the Authority, West Bengal, the Central Government, in consultation with the Government of West Bengal, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal comprising of the following members, namely :-

1.	Dr. Tapan Kumar Mukherjee Health Department, Kolkata Municipal Corporation 5, S.N.Banerjee Road, Kolkata – 700013	—Chairman
2.	Prof. Jayanta Bhattacharya Department of Mining Engineering, P.O: IIT Kharagpur, P.S: Kharagpur Local, Dist :PaschimMedinipur – 721302, West Bengal.	—Member
3.	Prof. Alok Kumar Mukherjee B-6 Survey Park, Santoshpur, Kolkata- 700075,	—Member
4.	Dr. Kalyanmoy Ganguly 329, Diamond Harbour Road, Behala, Kolkata,- 700034	—Member
5.	Dr. Indrila Guha 39A/1A, Bose Pukar Road, Kolkata – 700042.	—Member
6.	Dr. Papita Das Associate Professor Department of Chemical Engineering Jadavpur University, Kolkata - 700032	—Member
7.	Member Secretary, West Bengal Pollution Control Board.	—Member Secretary

6. The Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the views of the majority shall prevail.

9. The Government of West Bengal shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, West Bengal and the State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

10. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and members of the Authority, West Bengal and the Chairman and members of the State Level Expert Appraisal Committee, West Bengal shall be paid in accordance with the relevant rules of the Government of West Bengal.

[No. J-11013/ 8/ 2007- IA.II ( I )]  
MANOJ KUMAR SINGH , Jt. Secy.